

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

विधाना विपक्षी गौहरीलाल
 मुकदमा 88/188/2025 पत्रावली संख्या 160/22 सन्

क्र. सं.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>4/4/25 पत्रावली पेश हुई। आदि. उभय पक्ष उप. आदि. पक्ष द्वारा या. पत्र 09R7 पर अहर-किंग अहर सुनी गई। न्यायाक्षेत्र में या. पत्र 09R7 CPC स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी स. 6 के विरुद्ध पूर्व में किया जाने एक नरफा कार्यवाही के आदेश को अमान्य किया जाकर दोनर का कार्यवाही के आदेश दिए जाकर य. स. 6 को पुनः रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वास्तु में दिनांक 6/1/25 को पेश हो।</p> <p>6/1/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप. 09/10 के लिये मौका चाहते हैं। अतः 13/6/25 अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. 13/6/25 को पेश हो।</p> <p>17/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप.। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बंकि कर सं/शोक समा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/भ्रमण/मीटिंग में पधार है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक 20/6/25 को पेश हो।</p>	



20/06/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीयाँ
मय स्वयं वादीया (अनुपस्थित) अधिवक्ता
वादीया मय स्वयं वादीया को बार-बार
आवाजे दिलवाई गई। समय साँय
5:00 PM हो चुके हैं। अधिवक्ता वादीया
मय वादीया अब तक अनुपस्थित हैं।
अतः अधिवक्ता वादीया मय वादीयाँ अनुपस्थित
रहने पर वादीयाँ का वाद अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फँसल सुमार होकर नम्बर से
कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) जयपुर